संख्या–1526/सत्तर–5–2016–70(7)/2016

प्रेषक,

बी0वी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 11 अगस्त, 2016

विषयः प्रदेश के 05 राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षिक तथा शिक्षणेत्तर पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 05 राजकीय महाविद्यालयों में निम्न विवरण के अनुसार अस्थाई पदों को इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि या इन पदों पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2017 तक सृजित किये जाने की इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं कि इन अस्थायी पदों को इससे पहले बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय :–

क्र0	पदों का विवरण	संख्या	वेतनबैण्ड (रूपये में)	ग्रेड–पे (रूपये में)
1	2	3	4	5
(1) *राजकीय महाविद्यालय इन्दुपुर गौरीबाजार, देवरिया –*				
	स्नातक स्तर पर कला संकाय हेतु – प्रवक्ता–भूगोल	01	15600–39100	6000
	प्रयोगशाला सहायक	01	5200–20200	1900
	शिक्षक श्रेणी के 01 एवं शिक्षणेत्तर श्रेणी के 01 कुल 02 पद			
(2) राजकीय महाविद्यालय मुफ्तीगंज, जौनपुर–				
	स्नातक स्तर पर कला संकाय हेतु– प्रवक्ता–गृह विज्ञान, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र	04	15600–39100	6000
	प्रयोगशाला सहायक	01	5200–20200	1900
	शिक्षक श्रेणी के 04 एवं शिक्षणेत्तर श्रेणी के 01 कुल 05 पद			
(3) राजकीय महिला महाविद्यालय, बदायूँ –				
	प्राचार्य	01	37400–67000	10000
	स्नातक स्तर पर कला संकाय हेतु – प्रवक्ता–हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, उर्दू, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं गृह विज्ञान	07	15600–39100	6000
	स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय हेतु– प्रवक्ता–भौतिकी, रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित	05	15600–39100	6000
	स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय हेतु प्रवक्ता–वाणिज्य	02	15600–39100	6000
	पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवक्ता–लाइब्रेरी)	01	15600–39100	6000
	प्रधान सहायक	01	9300–34800	4200
	प्रयोगशाला सहायक	05	5200–20200	1900
	वरिष्ठ सहायक	01	5200–20200	2800
	कनिष्ठ सहायक	02	5200–20200	2000
	प्रयोगशाला परिचर	05	चतुर्थ श्रेणी के पदों पर व्यवस्था आउट सोर्सिंग के माध्यन से की जायेगी	
	कार्यालय परिचर/अर्दली/ पुस्तकालय परिचर/स्वीपर/ चौकीदार	05	चतुर्थ श्रेणी के पदों पर व्यवस्था आउट सोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी	
	प्राचार्य सहित शिक्षक श्रेणी के 15 एवं शिक्षणेत्तर श्रेणी के 20 कुल 35 पद			

Principal
Govt. Mahila College
Budaun

प्राचार्य
राजकीय महिला महाविद्यालय
बदायूँ

Scanned by CamScanner

(4) राजकीय महाविद्यालय, बदायूँ –				
	स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय हेतु – प्रवक्ता–अंग्रेजी, उर्दू, इतिहास, समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान (प्रत्येक विषय हेतु 02 पद)	10	15600–39100	6000
	स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य संकाय हेतु प्रवक्ता–वाणिज्य	02	15600–39100	6000
	शिक्षक श्रेणी के कुल 12 पद			
(5) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चन्दौली–				
	स्नातक स्तर पर कला संकाय हेतु – प्रवक्ता–गृह विज्ञान व मनोविज्ञान	02	15600–39100	6000
	प्रयोगशाला सहायक	02	5200–20200	1900
	शिक्षक श्रेणी के 02 एवं शिक्षणेत्तर श्रेणी के 02 कुल 04 पद			

2– उक्त पदों पर नियुक्ति/तैनाती सत्र प्रारम्भ होने हेतु समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति होने अथवा शैक्षणिक कार्य प्रचलित होने पर ही की जायेगी। सृजित पदों के वेतन आदि हेतु आवश्यक बजट प्राविधान निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करा लिया जायेगा।

3– उपरोक्त सभी पद अपने सम्बन्धित संवर्ग में अस्थायी वृद्धि के रूप में माने जायेंगें तथा पदधारकों को समय–समय पर शासन द्वारा अनुमन्य मंहगाई भत्ते व अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

4– चतुर्थ श्रेणी के पदों पर तैनाती बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से की जायेगी।

5– प्रधान सहायक एवं वरिष्ठ सहायक का पद शत–प्रतिशत पदोन्नति का पद है। पदोन्नति हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की उपलब्धता जब तक नहीं हो जाती तब तक इस पद को अन्य राजकीय विभाग से सेवा स्थानान्तरण के आधार पर भरा जायेगा।

6– उक्त पदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–73 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2202–सामान्य शिक्षा–आयोजनागत–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–103–राजकीय कालेज तथा संस्थान–04–राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढीकरण एवं उन्नयन तथा नये संकायों एवं विषयों का समावेश" के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या–ई–11–1214/दस–2016, दिनांक 04 अगस्त, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(पी०वी० सिंह)
विशेष सचिव।

Principal
Govt. Mahila College
Budaun

संख्या–1526 (1)/सत्तर–5–2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
3. वित्त नियत्रंक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
5. प्राचार्य, सम्बन्धित महाविद्यालय।
6. वित्त (ई–11) अनुभाग/उच्च शिक्षा अनुभाग–4.
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव।

प्राचार्य
राजकीय महिला महाविद्यालय

Scanned by CamScanner

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक: रू0वि0/सम्बद्धता/2016/ 719-727 दिनांक: 30.05.2016

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
राजकीय महिला महाविद्यालय,
बदायूँ।

विषय: राजकीय महिला महाविद्यालय, बदायूँ को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0, विज्ञान संकायान्तर्गत बी0एससी0-मैथ व बायो ग्रुप तथा वाणिज्य संकायान्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रमों/विषयों में सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब-1145/सत्तर-2 2014-16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 30.05.2016 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में संस्था राजकीय महिला महाविद्यालय, बदायूँ को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0(हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र व राजनीतिशास्त्र) प्रत्येक विषय में एक-एक सेक्शन(अधिकतम 60 छात्र प्रति सेक्शन), विज्ञान संकायान्तर्गत बी0एससी0(मैथ व बायो ग्रुप) प्रत्येक ग्रुप में एक-एक सेक्शन(अधिकतम 60 छात्र प्रति सेक्शन) तथा वाणिज्य संकायान्तर्गत बी0काम0 में दो सेक्शन(अधिकतम 60 छात्र प्रति सेक्शन) पाठ्यक्रमों/विषयों में दिनांक 01.07.2016 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में समस्त निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा आगामी शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी
3. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
4. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
5. कक्षा संचालन से पूर्व सम्बद्धता समिति के सदस्य द्वारा जो कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा, मूलभूत आवश्यकताओं के परीक्षण हेतु स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

भवदीय

प्रो0(मुशाहिद हुसैन)
कुलपति

Principal
Govt. Mahila College
Budaun

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
02. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
03. वित्त अधिकारी, एम0जे0पी0रू0वि0, बरेली।
04. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
05. निजी सचिव, कुलपति ।
06. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
07. श्री रविन्द्र गौतम, प्रोग्रामर को इस आशय से कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
08. उप कुलसचिव (परीक्षा)/उप कुलसचिव (गोपनीय) को अग्रिम कार्यवाही हेतु ।

डा0(एस.एल. मौर्य)
कुलसचिव

प्राचार्य
राजकीय महिला महाविद्यालय
बदायूँ

Scanned by CamScanner

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110 002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110 002

सत्यमेव जयते

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

F. No. 3-150/2020 (CPP-I/C)

August, 2020

The Registrar,
M.J.P. Rohilkhand University
Dori Lal Agarwal Marg
Pilibhit Bypass Road, Bareilly – 243 001
Uttar Pradesh

17 AUG 2020

Sub: Recognition of College under Section 2 (f) & 12 (B) of the UGC Act, 1956.

Sir,

I am directed to refer to your letter no. Ru.V/sambadhta/2020/258 dated 23.01.2020 on the above subject and to say that it is noted that the College is **aided** and **permanently** affiliated to **M.J.P. Rohilkhand University, Bareilly**. I am further to say that the name of the following College has been included in the list of colleges prepared under Section 2 (f) & 12 (B) of the UGC Act, 1956 under the head '**Government** Colleges teaching upto **Bachelor's** Degree':-

Name of the College	Year of Establishment	Remarks
Rajkiya Mahila Mahavidyalaya, Budaun-243 601, Uttar Pradesh. AISHE CODE:- C-57259	2016	The college is eligible to receive Central assistance in terms of the Rules framed under Section 12 (B) of the UGC Act, 1956.

The documents submitted in respect of the above College have been accepted by the University Grants Commission.

Yours faithfully,

(Anita Gogna)
Under Secretary

Copy to:-

1. The Principal,
Rajkiya Mahila Mahavidyalaya
Budaun-243 601
Uttar Pradesh.

(Madan Lal)
Section Officer

(Continued at page 2)

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते

Government of India

Ministry of Human Resource Development

Department of Higher Education

Statistics Division

New Delhi

Certificate

Reference No. C-57259-2016

This is to certify that DILEEP KAPOOR of GOVERNMENT MAHILA DEGREE COLLEGE, BUDAUN has successfully uploaded the data of All India Survey on Higher Education(AISHE) 2016-2017.

(B N Tiwari)

Deputy Director General

Dated: 27/04/2017

Scanned by CamScanner

Government of India

Ministry of Human Resource Development

Department of Higher Education

Statistics Division

New Delhi

Certificate

Reference No. C-57259-2017

This is to certify that SMITA JAIN of GOVERNMENT MAHILA DEGREE COLLEGE, BUDAUN has successfully uploaded the data of All India Survey on Higher Education(AISHE) 2017-2018.

(B N Tiwari)

Deputy Director General

Dated: 16/03/2018

Scanned by CamScanner

Government of India

Ministry of Human Resource Development

Department of Higher Education

Statistics Division

New Delhi

Certificate

Reference No. C-57259-2018

This is to certify that SMITA JAIN of GOVERNMENT MAHILA DEGREE COLLEGE, BUDAUN has successfully uploaded the data of All India Survey on Higher Education(AISHE) 2018-2019.

(Madan Mohan)

Deputy Director General

Dated: 26/01/2019

Name of the signatory

Scanned by CamScanner

Government of India

Ministry of Human Resource Development

Department of Higher Education

Statistics Division

New Delhi

Certificate

Reference No. C-57259-2019

This is to certify that SMITA JAIN of GOVERNMENT MAHILA DEGREE COLLEGE, BUDAUN has successfully uploaded the data of All India Survey on Higher Education(AISHE) 2019-2020.

(Madan Mohan)
Deputy Director General

Dated: 24/01/2020

Name of the signatory

Scanned by CamScanner